



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ, 1943 (श०)

संख्या- 24 राँची, मंगलवार,

1 फरवरी, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

27 जनवरी, 2022

विषय:-एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित Jharkhand Urban Water Supply Improvement Project (JUWSIP) के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम हेतु 16177.61 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या--Juidco.Ltd./WS/Medininagar/2213/2019/281-- नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इसी क्रम में मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में शहरी जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति

में सुधार एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना का सूत्रण किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन एवं वित्तपोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा संपोषित Jharkhand Urban Water Supply Improvement Project (JUWSIP) के अंतर्गत किया जाना है।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा संचालित हो रही Jharkhand Urban Water Supply Improvement Project (JUWSIP) के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा दिनांक 21.11.2017 को हुई स्क्रीनिंग कमिटी की 77वीं बैठक में उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु झारखण्ड राज्य को 458 मिलियन डॉलर के वित्तीय सहायता की अनुशंसा के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) को अग्रसारित किया गया है।
3. उक्त के आलोक में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के माह जून-2011 में प्रकाशित हस्तक (Handbook) में Project Preparation & Loan Negotiations with Multilateral Development Banks (MDBs) की दिशा-निर्देशिका के कंडिका-19 में अंकित निर्देशों के आधार पर ADB के विशेषज्ञों के साथ हुई विस्तृत चर्चा के आलोक में मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति परियोजना की निविदा प्रकाशित करने हेतु Standard Bid Document तैयार किया गया है। प्रस्तावित परियोजना के लिए संवेदक के चयन हेतु उक्त SBD के आधार पर निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। उक्त दिशा-निर्देशिका की प्रसंगाधीन कंडिका के आलोक में SBD के प्रावधानों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार ADB से अनुमोदन के पश्चात् जुड़को लि. के निदेशक मंडल के पास होगा।
4. वर्तमान में मेदिनीनगर नगर निगम में आवश्यक संसाधनों की सीमित क्षमता के कारण नगर निकाय क्षेत्र के सभी घरों में जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।
5. मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत जलापूर्ति व्यवस्था अंतर्गत निम्नलिखित अवयव उपलब्ध है:-

S.No	Components	Description
1	Source	North Koel River
2	Intake Well	Capacity 6 MLD
3	Raw Water Rising Main	Raw water rising main, Dia 600 mm, length 170mtr.
4	WTP	Capacity 21.6 MLD (to be Renovated & Repaired)
5	ESR	ESR Capacity (in KL)
		ESR 5 450
		ESR 6 450
		ESR 7 450
		ESR 8 450
		ESR 9 450

6. प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में अपर्याप्त वितरण व्यवस्था के कारण हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु वर्तमान में कार्यरत Water Treatment Plant एवं 5 जलमिनारों के अतिरिक्त जलापूर्ति के लिए नए Infiltration Gallery, Water Treatment Plant, 4 ESRs, Raw Water & Clear Water Rising Main और Distribution Network के निर्माण करने की आवश्यकता है जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया गया है।

7. इस परियोजना के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के आधार जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

8. इस परियोजना के अवयव निम्नलिखित हैं:-

Proposed Project components	Details
Infiltration Gallery	4500m 0.5m dia perforated pipes
Raw Water Rising Main (DI- K9)	600 mm Dia, 170 M Length & 500 Dia with 3900 M length.
Water Treatment plant	17 MLD (Proposed) & Renovation of Existing WTP of 21.6 MLD
ESRs (New Proposed ESR – 4 and Retaining Existing 5 No's)	Capacity of 1275KL, 2000KL, 1125KL and 1275KL
National Highway Crossings and Ring Road Crossings	Total- 12 nos.
Railway Crossing	Nil
New house connection (Nos.)	24,711
Clear Water Rising mains	DI K9 – 200 mm, 350mm, 450mm dia. – 5.2 Km (Total)
Water Distribution Network with DI K7 pipe	Size Ranging from 100 mm dia. to 450 mm dia.-212.24 Km
O&M for project including Intake arrangements, WTP, ESRs, Raw & Clear Rising mains, Pumping Machinery, Electrical Equipment, Water Distribution network, SCADA system	5 Years

9. मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग के द्वारा उक्त परियोजना पर निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है:-

Sl.	Item Description	Total Amount in Rs.
1	Sub-Estimate No. 1: Construction Infiltration Well cum Approach Bridge	28,912,962
2	Sub-Estimate No. 2: Construction of Infiltration Galleries	166,479,252
3	Sub-Estimate No. 3: Construction of Coffor Dam	5,149,000
4	Sub-Estimate No. 4: Construction of Raw Water Rising Main	43,588,012
5	Sub-Estimate No. 5: Construction of Raw Water Pumping Machinery	18,273,046
6	Sub-Estimate No. 6: Construction of Clear water rising main	41,986,196
7	Sub-Estimate No. 7: Construction of Clear Water Pumping Machinerics	10,146,556
8	Sub-Estimate No. 8: Construction of WTP (17MLD)	37,607,131
9	Sub-Estimate No. 9: Repair and Renovation of existing WTP	2,178,700
10	Sub-Estimate No. 9.1: Construction of Twin staff quarter & Duty Room	2,311,236
11	Sub-Estimate No. 10: Construction of Elevated Storage Reservoirs (4No)	41,011,828
12	Sub-Estimate No. 11: Construction of Distribution System	538,714,688
13	Sub-Estimate No. 12: Construction of House Connections (24711No)	116,537,076

14	Sub-Estimate No. 14: Instrumentation control and Automation	48,548,160
15	Sub-Estimate No. 15: Construction of Boundary Wall	6,760,809
16	EMP (Environmental Management Plan) Cost	2,404,200
17	Sub-Estimate No. 15: Construction of Settling Tank	1,726,367
	Sub-Total Capital Cost in INR - (A)	1,112,335,219.60
	Capital Cost Including GST @ 12% (1.12*A) - (A1)	1,245,815,445.95
	Total Capital Cost Including Labour Cess@ 1% (1.01*A1)-(A2)	1,258,273,600.40
18	JUIDCO Charges as per circular dt. 14.12.16 on (A1)	54,458,154
19	DPR Consultancy Charges @ 0.47% on (A1)	5,855,333
20	Provisional Sum@5 % on capex cost	55,616,761
21	Sub-Estimate No. 13: Provision for National Highway License Fee	10,000,000
22	PMC Charges @ 1.12% on (A1)	13,953,133
	Total Capax	139,81,56,981

5 YEARS EXPENDITURE IN OPERATION & MAINTENANCE		
1	Operation And Maintenance for 1st Year excluding annual repair charges.	31,886,333
2	Operation And Maintenance for 2nd Year (As per item No. 1+10% of item No. 1)	41,656,956
3	Operation And Maintenance for 3rd Year (As per item No. 2+10% of item No.2)	43,276,835
4	Operation And Maintenance for 4th Year (As per item No. 3+10% of item No.3)	45,058,702
5	Operation And Maintenance for 5th Year (As per item No. 4+10% of item No.4)	47,018,755
	Total O&M for 5 years: - (B)	208,897,582
	Electricity Charges for 5 years O&M: - (B0)	127,290,830
	O&M excluding electricity charges (B-B0): - (B1)	81,606,752
	O&M Cost including GST @ 12% (B1*1.12): - (B2)	91,399,563
	O&M Cost Including Labour Cess on (B2) @ 1%: - (B3)	92,313,558
	Total Opex for 5 years in INR (B0+B3): - (B4)	219,604,388
	Total Cost (Capax + Opex) in INR.	1,617,761,367.85
	Say	1,617,761,400.00

10. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) 13981.57 लाख रु. है और 5 वर्षों तक के परिचालन एवं रख-रखाव में व्यय होने वाली राशि (OPEX) 2196.04 लाख रु. है अर्थात् कुल प्राक्कलन 16177.61 लाख रु. है। CAPEX का 70% एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण के रूप में एवं 30% राज्यांश के रूप में देय होगा। OPEX की राशि में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के आधार पर आगामी पाँच वर्षों में अनुमानित विद्युत खपत के वहन का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना का निर्माण पूर्ण होने पश्चात् 3 वर्षों तक परिचालन एवं रख-रखाव की राशि (OPEX) का ही वहन उनके द्वारा किया जाएगा जिसमें की बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। अतः शेष 2 वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव की राशि तथा पूरे 5 वर्षों के लिए बिजली के बिल के विरुद्ध किए जाने वाले भुगतान का वहन राज्य योजना मद से किया जाएगा।

उक्त के कारणवश OPEX की राशि को दो हिस्सों में विभक्त किया गया है। OPEX के प्रथम भाग का 70% ही एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण के रूप में एवं 30% राज्यांश के रूप में देय होगा। OPEX का द्वितीय भाग (2 वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव की राशि तथा पूरे 5 वर्षों के लिए बिजली के बिल के विरुद्ध किए जाने वाले भुगतान) को राज्य मद से वहन करना होगा जो संबंधित नगर निकाय को विद्युत की वास्तविक की खपत के आधार पर प्राप्त विपत्र के आधार पर देय होगा।

ADB ने यह भी स्पष्ट किया है कि परियोजना के क्रियान्वयन में अगर किसी तरह का विलंब होता है तो ADB उसके कारण O&M Period को Cover करने हेतु ऋण की अवधि में विस्तार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बचे हुए समय के O&M की राशि का वहन राज्य योजना मद से किया जाएगा।

11. उक्त के आलोक में संबंधित परियोजना का वित्तपोषण निम्नवत होगा:- (In Lakhs)

	Approved Project Cost (CAPEX+OPEX)	Part of JURLIP aided by ADB		Non-JURLIP Part, to be paid by ULB
		ADB Share (70%)	State Share (30%)	
CAPEX (A)	13981.57	9787.099	4194.471	-
OPEX (B)	2196.04	320.26	137.26	1738.52
Total Project Cost (A+B)	16177.61	10107.359	4331.731	1738.52

12. उपर्युक्त कंडिका - 11 में अंकित JUWSIP के अंतर्गत आने वाली राशि (ADB Share + State Share) अर्थात् 14439.09 लाख रु. एवं Non-JUWSIP भाग की राशि अर्थात् 1738.52 लाख रु. का वहन राज्य योजना अंतर्गत “मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) मद मुख्यशीर्ष-2217- शहरी विकास-80, लघुशीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-67-बाह्य संपोषित योजनाओं हेतु अनुदान (ई.ए.पी.)-उप परियोजना शीर्ष-01-विश्व बैंक संपोषित-झारखण्ड नगरपालिका विकास योजना (जे०एम०डी०पी०) तथा एशियन विकास बैंक संपोषित - झारखण्ड नगरीय प्रतिरोधक एवं जीवन सुधार योजना (जे यु आर एल आई पी) (22000572), विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) विपत्र कोड - 48S22178019167010679 “ से किया जाएगा। तदोपरांत खर्च के अनुपात में 70% राशि की मांग केन्द्र सरकार से की जाएगी।
13. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतर्गत JUWSIP अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजनाओं हेतु जुडको लि० के स्तर पर आवश्यकतानुसार पृथक बैंक खाता संधारित किया जाना है। उक्त के आलोक में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत इस परियोजना हेतु बैंक खाता संधारित किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार राशि हस्तांतरित की जाएगी। परियोजना का कार्यान्वयन के क्रम में बैंक खाते में संधारित राशि का उपयोग इस परियोजना के विपत्र के भुगतान हेतु किया जाएगा।
14. उक्त के आलोक में विपत्रों के भुगतान के पश्चात Claim form CAAA (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) को समर्पित

किया जाएगा। DEA की स्वीकृति के उपरान्त राज्य सरकार के द्वारा व्यय की गई कुल राशि का 70% (AD Share) राशि प्रतिपूर्ति स्वरूप राज्य सरकार को आवंटित की जाएगी।

15. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के User's Guide to Procurement of works के Section 4 – Bidding Forms के अंतर्गत Bill of Quantities में पृष्ठ संख्या 61-62 पर दिए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में उक्त जलापूर्ति परियोजना में Provisional Sum का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार परियोजना के कार्यों में किया जा सकेगा।
16. उपरोक्त परियोजना के निर्धारित अवयवों के निर्माण हेतु आवश्यक भूखंडों का नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
17. उपरोक्त परियोजना के लिए 30.12 MLD जल की आवश्यकता है, जिसकी व्यवस्था जल संसाधन विभाग के निदेशानुसार Infiltration Gallery बनाकर की जाएगी एवं Lean Period में Assured जल व्यवस्था जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा की जाएगी।
18. उक्त परियोजना हेतु निविदा प्रकाशन जुडको लि., राँची के स्तर से किया जाएगा। निविदा राष्ट्रीय खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया (National open competitive bidding) के तहत आमंत्रित की जाएगी। जुडको लि. द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा कार्य को ससमय निष्पादन कर कार्य आवंटित किया जाएगा।
19. चयनित संवेदक द्वारा उद्धृत राशि के स्वीकृत प्राक्कलित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत कार्य आवंटित किया जाएगा। इस क्रम में अतिरिक्त राशि का वहन कंडिका-12 में उल्लिखित परियोजना मद से किया जाएगा।
20. कंडिका - 9 में अंकित DPR की कुल प्राक्कलित राशि 16177.61 लाख रु. की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त है।
21. परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-
 - क) रख-रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।
 - ख) गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।
 - ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charges) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (Email, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जा सकेगा।
 - घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
22. उक्त परियोजना का कार्यान्वयन 24 माह में पूर्ण किया जाएगा एवं इस योजना का वर्षवार वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् होगा:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)
1.	2021-22	4660.52
2.	2022-23	4660.52
3.	2023-24	4660.52

23. उक्त परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त अगले 5 वर्षों तक इसके परिचालन एवं रख-रखाव में वर्षवार राशि का निम्नवत् व्यय किया जाएगा:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)
1.	2023-24	439.21
2.	2024-25	439.21
3.	2025-26	439.21
4.	2026-27	439.21
5.	2027-28	439.21

24. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं -

- क) मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) 13981.57 लाख रु. एवं परिचालन तथा रख-रखाव की राशि (OPEX) 2196.04 लाख रु. अर्थात् कुल परियोजना लागत राशि 16177.61 लाख रु. को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- ख) उपरोक्त कंडिका-3 के अनुसार तैयार किए गए Standard Bid Document एवं इसके उपयोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- ग) उपरोक्त कंडिका 10 - 14 में वर्णित परियोजना के वित्तपोषण प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

25. उक्त योजना पर दिनांक-19.01.2022 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-19 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
